

चंडीगढ़ के हरियाणा सरकार ने कर्तव्य नरिवहन के दौरान मरने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और नौकरी देने का फैसला किया है।

चंडीगढ़ के नक्कट पंचकूला में पुलिस लाइन्स पर पुलिस शहादत दविस कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के डीजीपी एस न वशष्टि ने कहा कि इस संबंध में फैसला मुख्यमंत्री भूपदिर सहि हुड्डा ने किया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्तव्य नरिवहन के दौरान शहीद होने वाले पुलिस अधिकारियों के परिवार के सदस्य या आश्रितों को सेवानवित्ता की उमर तक पूरण वेतन देने का भी प्रावधान किया है।

हरियाणा के डीजीपी ने कहा, “दमक्ल सेवा के अधिकारियों और मजस्ट्रेट के परिवार के सदस्य या आश्रित को भी नौकरी दी जागी, जनि की पुलिस की सहायता के दौरान इस तरह की घटनाओं में मृत्यु होगी।”

अंबाला जलि में पछिले सप्ताह पुलिस हरिसत में कथति तौर पर कदलति युवक की मौत पर उन्होंने कहा कि आरोपी के खलिाफ त्वरति कर्रवाई की गई। उसे गरिफ्तार कर लया गया और उनके खलिाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

वशष्टि ने कहा कि मजस्ट्रेटी जांच प्रगत पर है और राष्ट्रीय मानवाधकार आयोग को भी पूरी सूचना दी गई है।

सभी पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त नरिदेश दिया गया है कि किसी को भी अवैध हरिसत में नहीं रखा जाना चाहति। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं में शामिल अधिकारियों के खलिाफ कर्रवाई की जागी।

(भाषा)